

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

वकील इजाजत प्राप्त करके वकील वारी
ने प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1980
पर बटल की। वारी संख्या 1111। स्वयंउपास्थि
उपरोक्त पहचान वकील वारी ने की।
पत्रपत्नी का अवलोकन किया, वकील
वारी की बटल का गणन किया। वारी
अपना दावा विशेष कि करना चाहते हैं
वारी अपना दावा खिली की स्तर पर
विशे कर सकता है। अतः वारीअप को
दावा विशेष की अनुमति दी जाती है।
एवं दावा वारी विशेष के आधार पर
खारिज किया जाता है। पत्रपत्नी
केवल शुद्ध दोष दावा पर फलदा है।

जुआर मसफर मु

बीचपुर (धर)